INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2022; 4(1): 107-108
Received: 29-03-2022
Accepted: 30-04-2022

रौशन कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला वि0 वि0, कामेष्वरनगर, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
रौशन कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला वि0 वि0, कामेष्वरनगर, दरभंगा, बिहार, भारत

बिहार में सभाओं, सम्मेलनों एवं संगठनों के माध्यम से दलित (दुसाध) चेतना

रौशन कुमार

DOI: https://doi.org/10.22271/27069109.2022.v4.i1b.182

सारांश
बिहार के दलितों या पिछड़ी जातियों के बीच उन्नीसवीं सदी के अंतिम कुछ वर्षों में कई संगठनों का बनना और सभाएँ एवं सम्मेलनों का आयोजन शुरू हो चुका था। इसका सबसे व्यापक एवं संगठित रूप से पहल दुसाध जाति समुदाय के लोगों ने की। पिछड़ी या दलित जातियों की एक बड़ी आबादी इसी वर्ग समुदाय की थी। हालांकि अंग्रेजों ने इस समुदाय को अपराधी जाति की सूची में शामिल कर दिया था, बावजूद इसके यह जाति विभिन्न जनगणनाओं के दौरान स्वयं को क्षत्रिय एवं उच्च वर्ग होने का दावा पेष करते रहे।

गौरतलब है कि 1891 ई0 में ही इस जाति वर्ग के सषक्त संगठन 'दुसाधवंषीय क्षत्रिय महासभा' की स्थापना की जा चुकी थी, किन्तु इस महासभा ने 1912 ई0 से बिहार में अपनी सक्रिय एवं तीव्र गतिविधियाँ प्रारंभ की। 1913 ई0 में दरभंगा, फतुहा (पटना) मुंगेर; 1915 ई0 में दानापुर तथा 1924 ई0 में समस्तीपुर आदि में इस महासभा ने छोटे–बड़े सम्मेलन आयोजित कर न केवल अपनी जाति में फैले विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं अन्य अपराध छोड़ने संबंधी प्रयास किए, बल्कि स्वयं को 'गहलौत राजपूत' होने का दावा भी किया।

वहीं, 1937 ई0 में बिहार सरकार (कांग्रेस मंत्रीमंडल) ने प्रदेष में ताड़ी–व्यवसाय पर पूर्णतः अंकुष लगा दिया। परिणामस्वरूप ताड़ी–व्यवसाय करने वाले पासी समुदाय (जो दुसाधों की ही एक उपजाति है) ने 9 अक्टूबर, 1937 को 'बिहार प्रदेष पासी सम्मेलन' का पहला अधिवेषन आयोजित किया। इसके अतिरिक्त 1 नवम्बर, 1937 को भी पासी समुदायों ने अपनी एक सभा आयोजित की। इन सभाओं एंव सम्मेलनों के माध्यमों से पासी समुदायों ने ताड़ी–व्यवसाय छोड़ने पर पासियों को विभिन्न कल–कारखाना तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरी सुनिष्चित करने और मजदूरी वृद्धि संबंधित कई मांगों से सरकार को अवगत कराया।

कूटशब्दः दलित, सभा, सम्मेलन, संगठन, जाति–समुदाय

प्रस्तावना
19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में विभिन्न दलित/पिछड़ी जातियों के बीच कई सभाओ, सम्मेलनों एवं संगठनों का बनना प्रारंभ हो चुका था और सबसे पहले दलितों के सभाओं एवं आन्दोलनों का संगठित रूप से शुरूआत दुसाधों ने की। गौरतलब है कि अंग्रेजों ने इस जाति को निम्न एवं अपराधी जाति की श्रेणी में शामिल किया था। 'कमिया' एवं खेतिहर मजदूरों की एक बड़ी जनसंख्या इसी जाति समुदाय की थी। 'दुसाधों ने खुद को क्षत्रिय घोषित कर विभिन्न जनगणनाओं के दौरान अपनी जाति का नाम गहलौत राजपूत के रूप में दर्ज करवाने का दावा पेष किया। हालांकि दुसाध वंषीय क्षत्रिय महासभा की स्थापना तो 1891 ई0 में ही हो चुकी थी, जिसमें अनुमानतः लगभग तीन हजार (3000) व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, लेकिन इस महासभा की सक्रिय गतिविधियाँ 1912 ई0 में बिहार प्रदेष के गठन के पश्चात् प्रारंभ हुई 1913 ई0 में बिहार के सरमेरा (पटना) मुंगेर, फतुहा (पटना) और दरभंगा में दुसाधों की छोटी–बड़ी सभाएँ हुई। जिसमें विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ जैसे शादी–विवाह में माँस–मदिरा का सेवन नहीं करना, विभिन्न प्रकार के नषाखोरी से वंचित रहना, चोरी जैसे अन्य अपराध छोड़ने, दहेज प्रथा और बहु–विवाह प्रथा का विरोध संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही दुसाधों की बेहतर षिक्षा पर भी विषेष बल दिया गया।[1]

1915 ई0 में बिहार के दानापुर में इस महासभा का दूसरा महा सम्मेलन हर गोविन्द भक्त के प्रयास से आयोजित किया गया। सर्वसम्मति नवालाल को इस महासभा का अध्यक्ष (प्रधान) एवं गंगा विषुन को मंत्री चुना गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दो वर्ष पर इस महासभा का सम्मेलन सफलतापूर्वक एवं व्यवस्थित एवं नियमित रूप से होता रहे।

इस महासभा का 7वाँ हीरालाल की अध्यक्षता में लाहौर आयोजित किया गया, जिसमें 'गहलौत राजपूत वंषावली' को स्वीकार कर, दुसाधों ने स्वयं को 'गहलौत राजपूत' होने का दावा पेष किया। 1924 ई0 में समस्तीपुर में आयोजित इस महासभा के 9वें सम्मेलन में भी दुसाधों को 'गहलौत राजपूत' (क्षत्रिय) के रूप में स्वीकार किया गया; जिसकी अध्यक्षता हीरालाल ने ही की थी। लेकिन इस विषय पर दुसाधों का संगठन दो भागों में विभक्त होता प्रतीत होता है। दुसाधों को 1937 ई0 में 'गहलौत राजपूत मानकर अनुसूचित जाति में रखा गया। इस विषय पर भी इनके जातीय संगठन में फूट स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।[2]

शिवनंदन लाल (राम) की अध्यक्षता में 'दुसाध' जातियों के अग्रणी एवं प्रमुख नेताओं की एक बैठक 20 अप्रैल, 1937 ई0 को आयोजित की गई, जिसमें 'दुसाध सभा' के गया जिलाध्यक्ष अमृत लाल इस सभा के मुंगेर जिला सचिव बांके बिहारी लाल सहित दुसाधों के कई अन्य प्रमुख नेता सम्मिलित हुए। इस सभा में इस बात पर चर्चा की गई कि अखिल भारतीय दुसाध वंषीय क्षत्रिय महासभा के किसी भी सम्मेलन में न तो 'दुसाधों को कभी भी 'गहलौत राजपूत' घोषित किया गया और न ही 'दुसाधवंषीय क्षत्रिय'। इस सभा के अध्यक्ष षिवनन्दन लाल ने यह प्रस्ताव रखा कि कभी भी 'अखिल भारतीय दुसाध महासभा का नाम नहीं बदला गया और अखिल भारतीय गहलौत राजपूत (दुसाध) महासभा के प्रति अपना अविष्वास प्रकट करते हुए 'बिहार प्रदेष दलित वर्ग संघ' के प्रति अपना विष्वास प्रकट किया।

इसको कुछ दिनों के पश्चात् ही पटना में 'अखिल भारतीय गहलौत राजपूत (दुसाध) महासभा का पन्द्रहवाँ सम्मेलन दाल चन्द राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, लाहौर, अंबाला, इलाहाबाद, कोलकाता आरा, छपरा, राँची आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दुसाधों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि – 'दुसाध' जाति 'गहलौत राजपूत के ही वंषज है एवं उनका नाम 'गहलौत राजपूत' के रूप में ही किया जाए इसके अतिरिक्त पुलिस एवं अन्य प्रषासनिक सेवाओं में गहलौत राजपूतों की नियुक्ति भी की जाए। 'अखिल भारतीय गहलौत राजपूत (दुसाध) महासभा के तत्कालीन सचिव श्याम नंदन सिंह का एक लेख मई, 1937 को 'दि इंडियन नेषन' में प्रकाषित हुआ था, जिसमें उन्होंने 'दुसाधों को राजपूतों की ही एक उप–जाति के रूप में सिद्ध किया था। अंततः 'दुसाधों को गहलौत राजपूत' के रूप में मान्यता प्रदान कर; इसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया गया।[3]

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस मंत्रिमंडल वाली सरकार ने 1937 ई0 में बिहार में मद्यपान एवं इसके व्यवसाय पर पूर्णतः रोक लगा दिया, जिसके कारण 'पासी' समुदाय (जो ताड़ी का व्यवसाय करते थे) के समक्ष उनकी आजीविका की समस्या एक प्रमुख प्रष्न बनने लगी थी। जगदीष प्रसाद की अध्यक्षता में 'बिहार प्रदेष पासी सम्मेलन' का पहला अधिवेषन 9 अक्टूबर 1937 को पटना के लोदीपुर में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के लगभग सभी जिलों से इस जाति के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में ताड़ी–व्यवसाय को शराब या अन्य नषीले पदार्थों की श्रेणी में शामिल नहीं करने का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। बिहार के तत्कालीन वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने पासियों से ताड़ी का व्यवसाय छोड़, कृषि कर्म या कोई अन्य उचित व्यवसाय करने, अपने बच्चों को विद्यालय भेजने एवं उनकी मुफ्त और बेहतर षिक्षा की व्यवस्था करने का आह्वान किया। किन्तु पासी जाति किसी भी तरह से अपने पुस्तैनी व्यवसाय छोड़ने को तेयार नहीं थे। उनका सरकार से अनुरोध था। ताड़ी को नषा की श्रेणी से बाहर रखा जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ''यह शराब की भाँति नुकसानदेह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यह प्राकृतिक एवं पौष्टिक पेय पदार्थ है, जिनसे अनेक बिमारियाँ आजीविका का मुख्य साधन/स्त्रोत भी है।[4]

पटना के दीघा घाट में 1 नवंबर, 1937 को पासियों की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सरकार के मंत्री जगलाल चौधरी भी सम्मिलित हुए पासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी सभी समस्याओं को रखा, लेकिन जगलाल चौधरी पासियों को ताड़ी–व्यवसाय छोड़ किसी अन्य वैद्य पेषा अपनाने का सलाह दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही पासियों का सम्मेलन 13 नवंबर 1937 को बिहारषरीफ (पटना) में आयोजित हुआ, जिसमें पासियों ने सरकार के समक्ष कुछ प्रमुख मांगों को रखा। जैसे– ताड़ी पर रोक लगाने से पूर्व शराब, गांजा एवं भाँग पर प्रतिबंध लगाया जाए, पासियों को रेलवे, कल–कारखानों एवं अन्य क्षेत्रों में नौकरी दी जाए, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की जाए इत्यादि। किन्तु मंत्री जगलाल चौधरी ने पासियों की इन मांगो को एक–एक कर ठुकरा दिया। मंत्री द्वारा इन मांगों को अस्वीकृत किए जाने के बाद भी पासियों की सभी मांगो को इस सम्मेलन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।[5]

निष्कर्ष

इन सभाओं एवं संगठनों के माध्यम से विभिन्न दलित जातियों ने अपने आत्म–सम्मान की रक्षा करने और स्वयं को क्षत्रिय, ब्राह्मण या अन्य उच्च जातियों घोषित कर जनेऊ धारण करने पर विषेष जोर दिया। दलित जातियों ने अपनी जाति में व्याप्त/विद्यमान विभिन्न सामाजिक कुरीतियो, बाल–विवाह, चोरी जैसे अन्य अपराध, आदि के खिलाफ कई प्रस्ताव सभाओं एवं सम्मेलनों के माध्यम से पारित किए। साथ ही साथ विभिन्न जनगणनाओं के दौरान खुद को क्षत्रिय एवं अन्य उच्च वर्ग के रूप में इंगित करने एवं षिक्षा पर बल देने संबंधी कई प्रस्ताव भी इन सभाओं/सम्मेलनों के माध्यम से पारित किए गए। इसके अतिरिक्त, 1937 ई. में कांग्रेस मंत्रिमंडल वाली बिहार सरकार ने प्रदेष में मद्यपान करने एवं इसके व्यवसाय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जिसके तहत ताड़ी–व्यवसाय को भी पूर्णरूपेण निषिद्ध कर दिया गया। परिणामस्वरूप ताड़ी–व्यवसाय कर जीवन–यापन करने वाली पासी समुदाय के समक्ष उनकी आजीविका संकट में पड़ गई। पासी समुदायों ने विभिन्न सभाओं एवं सम्मेलनों के माध्यमों से ही सरकार के सम्मुख अपनी प्रमुख मांगों, जैसे– ताड़ी से पूर्व अन्य नषीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उन्हें ताड़ी– व्यवसाय छोड़ने के बाद आजीविका के लिए कल–कारखानों तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरी और मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि आदि को काफी सषक्त एवं प्रमुख रूप से रखा।

संदर्भ

1. प्रसन्न कुमार चौधरी एवं श्रीकांत, 'स्वर्ग पर धावा : बिहार में दलित आन्दोलन (1912–2000 ई0), वाणी प्रकाषन, नयी दिल्ली, 2015 पृ0 66–70
2. 'दलित मित्र', जून, 1937
3. 'दि इंडियन नेषन', 25,27 अप्रैल, 1 मई, 13 अक्टूबर, 2 नवम्बर एवं 14 नवम्बर, 1937
4. प्रसन्न कुमार चौधरी एवं श्रीकांत, 'बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम', वाणी प्रकाषन, नयी दिल्ली, 2010
5. 'प्रोब्लेम्स ऑफ दि डिप्रेस्ड क्लासेज', 'दि इंडियन नेषन', 14 जुलाई,1937